झारखण्ड विधान सभा

सत्यमेव जयते

झारखण्ड विधान मंडल के नेता विरोधी दल (वेतन एवं भत्ता) (संशोधन) विधेयक, 2011

[सभा द्वारा यथापारित]

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय,
राँची द्वारा मुद्रित ।

झारखंड विधान–मंडल के नेता विरोधी दल (वेतन एवं भत्ता) (संशोधन) विधेयक, 2011

[सभा द्वारा यथापारित]

विषय–सूची

खण्ड–1

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ।
2. झारखण्ड विधान–मंडल नेता विरोधी दल (वेतन एवं भत्ता) अधिनियम, 02, 2001 की धारा 3 (क)– यथासंशोधित अधिनियम– 08, 2008 की धारा 2 का संशोधन
3. झारखण्ड विधान–मंडल नेता विरोधी दल (वेतन एवं भत्ता) अधिनियम, 02, 2001 की धारा 3 (ख)– यथासंशोधित अधिनियम– 08, 2008 झारखण्ड विधान मंडल नेता विरोधी दल (वेतन और भत्ता) अधिनियम, 02, 2001 यथा संशोधित अधिनियम, 08, 2008 में संशोधन
4. झारखण्ड विधान–मंडल नेता विरोधी दल (वेतन एवं भत्ता) अधिनियम, 02, 2001 की धारा 3 (ख)– यथासंशोधित अधिनियम– 08, 2008 की धारा 3
5. झारखण्ड विधान–मंडल नेता विरोधी दल (वेतन एवं भत्ता) अधिनियम 02, 2001 की धारा 3 में यथासंशोधित अधिनियम– 14, 2002 की धारा 5 द्वारा 3 (ड0) में संशोधन।
6. झारखण्ड विधान–मंडल नेता विरोधी दल (वेतन एवं भत्ता) अधिनियम, 02, 2001 की धारा 3 में यथासंशोधित अधिनियम–14, 2002 द्वारा धारा 3 (ज)– में संशोधन।
7. झारखण्ड विधान–मंडल नेता विरोधी दल (वेतन एवं भत्ता) अधिनियम, 02, 2001 की धारा 3 (ज) 1 में संशोधन।

झारखंड विधान–मंडल के नेता विरोधी दल (वेतन एवं भत्ता) (संशोधन) विधेयक, 2011

[सभा द्वारा यथापारित]

झारखंड विधान–मंडल में नेता विरोधी दल (वेतन एवं भत्ता) अधिनियम 02, 2001, अधिनियम 14, 2002 एवं अधिनियम, 08, 2008 में संशोधन करने के लिए विधेयक –

भारत गणराज्य के 62वाँ वर्ष में झारखण्ड विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भः–

   (i) यह अधिनियम झारखंड विधान मंडल के नेता विरोधी दल (वेतन एवं भत्ता) (संशोधन) अधिनियम, 2011 कहा जा सकेगा।

   (ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।

   (iii) यह दिनांक 01 अप्रैल, 2011 से प्रभावी समझा जायेगा।

2. झारखण्ड विधान–मंडल नेता विरोधी दल (वेतन एवं भत्ता) अधिनियम, 02, 2001 की धारा 3 (क)– यथासंशोधित अधिनियम– 08, 2008 की धारा 2 के द्वारा विरोधी दल के नेता को वेतन के रूप में प्रावधानित राशि 10,000/– रूपये प्रति माह के स्थान पर 39,000/– रूपये प्रतिस्थापित किया जायेगा।

3. झारखण्ड विधान–मंडल नेता विरोधी दल (वेतन एवं भत्ता) अधिनियम, 02, 2001 की धारा 3 (ख)– यथासंशोधित अधिनियम– 08, 2008 के द्वारा विरोधी दल के नेता को सत्कार (आतिथ्य) भत्ता के रूप में प्रावधानित राशि 5,000/– रूपये प्रति माह के स्थान पर 25,000/– रूपये प्रतिस्थापित किया जायेगा।

4. झारखण्ड विधान–मंडल नेता विरोधी दल (वेतन एवं भत्ता) अधिनियम, 02, 2001 की धारा 3 (ख)– यथासंशोधित अधिनियम– 08, 2008 की धारा 3 के द्वारा विरोधी दल के नेता को क्षेत्रीय भत्ता के रूप में प्रावधानित राशि 12,000/– रूपये प्रति माह के स्थान पर 20,000/– रूपये प्रतिस्थापित किया जायेगा।

5. झारखण्ड विधान–मंडल नेता विरोधी दल (वेतन एवं भत्ता) अधिनियम 02, 2001 की धारा 3 में यथासंशोधित अधिनियम– 14, 2002 की धारा 5 द्वारा 3 (ड0) –के रूप में जोड़े गये विरोधी दल के नेता को दैनिक भत्ता के रूप प्रावधानित राशि 500/– के स्थान पर राज्य के अंदर 1,000/– तथा राज्य के बाहर 1,500/– रूपये प्रतिदिन प्रतिस्थापित किा जायेगा।

6. झारखण्ड विधान–मंडल नेता विरोधी दल (वेतन एवं भत्ता) अधिनियम, 02, 2001 की धारा 3 में यथासंशोधित अधिनियम– 14, 2002 द्वारा धारा 3 (ज)– के रूप में जोड़े गये विरोधी दल के नेता को चिकित्सा भत्ता के रूप में प्रावधानित राशि 2,000/– के स्थान पर 3,000/– रूपये प्रतिस्थापित किया जायेगा।

7. झारखण्ड विधान–मंडल नेता विरोधी दल (वेतन एवं भत्ता) अधिनियम, 02, 2001 की धारा 3 (ज) 1 के पश्चात् नया उपबंध 1 (a) निम्नरुपेण प्रतिस्थापित किया जायेगा–

(i) विशेष रूप से और पूर्ववर्त्ती शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसी नियमावली समस्त या किसी विषय के लिए उपबंध कर सकेगी; वेतन, भत्ते एवं अन्य सुविधायें।

यह विधेयक झारखण्ड विधान मंडल के नेता विरोधी दल (वेतन एवं भत्ता) (संशोधन) विधेयक, 2011 दिनांक 3 सितम्बर, 2011 को झारखण्ड विधान-सभा में उद्भूत हुआ और दिनांक 3 सितम्बर, 2011 को सभा द्वारा पारित हुआ ।

यह एक धन विधेयक है ।

(चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह)
अध्यक्ष ।

झा०रा०मु०राँची (एल०ए०) 46--50--6-9-2011 ।